रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2018/पौष 28, 1939
No. 246] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2018/PAUSHA 28, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

का.आ. 284(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग, पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग कोलकाता को, उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है यथा:—

(क) पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग (कोष के उपयोग का तरीका) नियमावली, 2006 के प्रावधानों के अनुसार रखे जाने वाले कोष से होने वाली आय; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिसूचित पश्चिम बंगाल विद्युत (लाइसेंस दिए जाने के लिए आवेदन शुल्क) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार संग्रहीत शुल्क से होने वाली आय।

2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग, कोलकाता,—

(क) किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हुई समझी जाएगी एवं यह वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 1/2018/फा. सं. 300196/9/2016-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।